# न्यायालय जिला कलक्टर, बारां ( राजस्थान )

पीठासीन अधिकारी– श्री रोहिताश्व सिंह तोमर आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 21/2014

बउनवान

सरकार जर्ये तहसीलदार, मांगरोल जिला–बारां (राज0) (प्रार्थी)

बनाम

1. चतुर्भुज पुत्र जगन्नाथ जाति जाट निवासी उदपुरिया (मृतक)

1/1 हेमराज पुत्र चतुर्भुज

1/2 श्यामसुंदर पुत्र चतुर्भुज जातिगण जाट निवासी उदपुरिया तहसील मांगरोल जिला बारां (राज.)

1/3 मांगीबाई पुत्री चतुर्भुज पत्नि जगदीश जाति जाट निवासी गणेशखेड़ा पोस्ट लुहावद तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.)

1/4 गुड्डीबाई पुत्री चतुर्भुज पत्नि सत्यनारायण जाति जाट निवासी माथनी तहसील बारां जिला बारां (राज.) (अप्रार्थीगण)

**रेफरेन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 भू राजस्व अधिनियम,1956**

उपस्थिति :– 1. पेरोकार सरकार (प्रार्थी)

2. श्री धर्मेन्द्र सिंह चौधरी अभिभाषक (अप्रार्थी कम 1 व 2)

**आदेश दिनांक– 19.07.2024**

1– प्रार्थी सरकार जर्ये तहसीलदार, मांगरोल ने रेफरेंन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थी प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम उदपुरिया में सेटलमेन्ट सम्वत 2014–23 के अनुसार ग्राम उदपुरिया की जमाबन्दी सम्वत 2014–23 में खसरा नं. 37/2 मि. रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा किस्म गै.मु. तलाई दर्ज रिकार्ड है। वर्तमान सेटलमेन्ट सम्वत 2044–2063 में भू.प्रबन्ध विभाग द्वारा दौराने बन्दोबस्त कार्य मिलान क्षेत्रफल के अनुसार साबिक खसरा नंबर 37/2 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा के नवीन खसरा नं. 207 रकबा 0.38 है. किस्म नहरी प्रथम कायम किये जाकर अवैधानिक रूप से चतुर्भुज पुत्र जगन्नाथ जाति जाट निवासी उदपुरिया के खाते दर्ज कर दी है, जो भू राजस्व अधिनियम की धारा 88 के प्रावधानों के विपरित तथा अवैधानिक है। प्रकरण अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी.बी.रिट संख्या 1536/2003 निर्णय दिनांक 02.08.2004 में भी ऐसी भूमि के आवंटनों को विधि विरूद्व मानते हुए आवंटन निरस्त किये जाने के निर्देश दिये गये है।

उक्त आवंटन/नियमन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा–16 के तहत अवैधानिक है तथा डी0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के निर्णय दिनांक 2.8.2004 अनुसार ऐसी आराजी को पूर्ववत दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः उक्त आवंटन/नियमन को शून्य घोषित कर भूमि पूर्ववत गै.मु. तलाई राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

2– प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी कम 1 व 2 श्री अभिभाषक उपस्थित हुये तथा अप्रार्थी कम 3 व 4 बावजूद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar

Date: 2024.08.23 10:19:14 IST

Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज0)

सूचना अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी कम 1 व 2 की ओर से जवाब रेफरेंस इस आशय का पेश हुआ कि अप्रार्थीगण वर्तमान में आराजी खसरा नंबर 207 रकबा 0.38 है. वाके ग्राम उदपुरिया तहसील मांगरोल के रेकार्डेड खातेदार हैं तथा वर्तमान में उक्त आराजी पर काबिज काश्त हैं। साबिक खसरा नंबर 37/2 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा सम्वत् 2024 से 2030 की जमाबंदी अनुसार सिवायचक दर्ज था जिसमें से 2 बीघा 10 बिस्वा पर अप्रार्थीगण के पूर्वज खेती किसानी करते थे तथा शेष 9 बिस्वा पर तलाई दर्ज थी। आवंटन समिति द्वारा पूर्ण रूप से छानबीन कर उक्त आराजी का आवंटन अप्रार्थीगण के पिता चतुर्भुज पुत्र जगन्नाथ जाति जाट निवासी उदपुरिया के नाम किया था। याचिका संख्या 1536/2003 बउनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय न्यायालय की खण्डपीठ ने केवल निर्देश दिये हैं कि जल प्रवाह में ऐसा कोई कार्य नहीं किया जावे जिससे जल प्रवाह बाधित होता है तथा उक्त रेफरेंस पेश करने से पूर्व प्रार्थी द्वारा मौका निरीक्षण कर ऐसा कोई निष्कर्ष पेश नहीं किया है ना ही सन् 1947 का कोई राजस्व रेकार्ड पेश किया है। इस कारण उक्त रेफरेंस चलने योग्य नहीं है। उक्त आराजी अप्रार्थीगण उनके परिवार की आजीविका का एकमात्र साधन है। राज्य सरकार के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आवंटन को सम्बन्धी नियमों के तहत चुनौती देने के अधिकारों को निर्धारित मियाद में अपनाये बगैर अत्यधिक मियाद बाहर रेफरेंस प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आवंटन आदेश को निरस्त करवाये बिना प्रार्थी ने केवल मात्र खातेदारी अधिकारों को निरस्त करवाने का अनुतोष चाहा है जिसकी अनुमति प्रदान किया जाना आर.आर.टी. 2016(1) पेज 146 एवं 396 के न्यायिक दृष्टान्तों अनुसार भी विधि सम्मत नहीं है। भू राजस्व अधिनियम की धारा 82 से स्पष्ट है कि रेफरेंस किसी निर्णय आदेश कार्यवाही के विरूद्ध प्रस्तुत किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थीगण के पक्ष में किये गये अंकन को निरस्त कर पूर्व अनुसार आराजी को गै0मु0 तलाई दर्ज करने का अनुतोष चाहा है। जब तक उक्त आदेश को निरस्त नही करवाया जावे तब तक राजस्व अंकनों को समाप्त नहीं किया जा सकता। प्रार्थी ने प्रस्तुत प्रकरण में कहीं भी अंकित नहीं किया है कि अप्रार्थीगण के नाम उक्त आराजी किस आदेश के तहत राजस्व रिकार्ड में अंकित की गई है तथा उक्त आदेश को चुनौती भी नहीं दी गई है। अतः हस्तगत प्रकरण मेन्टेनेबल नहीं है। दौराने रेफरेंस कार्यवाही अप्रार्थी खातेदार चतुर्भुज की मृत्यु हो गई है तथा प्रकरण मे उसके वारिसान को भी पक्षकार नहीं बनाया जाने से प्रकरण में पक्षकारों के कुसंयोजन का प्रभाव उत्पन्न हो गया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेंस निरस्त फरमावें।

3— जवाब प्राप्त होने पर हमने प्रकरण बहस हेतु नियत किया।

4— हमने बहस उभयपक्ष पेरोकार सरकार एवं विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण की सुनी। बहस के दौरान पेरोकार सरकार ने प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम उदपुरिया की जमाबन्दी सम्वत 2014—23 में खसरा नं. 37/2 मि. रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा किस्म गै.मु. तलाई दर्ज रिकार्ड है। वर्तमान सेटलमेन्ट सम्वत 2044—2063 में भू.प्रबन्ध विभाग द्वारा दौराने बन्दोबस्त कार्य मिलान क्षेत्रफल के अनुसार साबिक खसरा नंबर 37/2 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा के नवीन खसरा नं. 207 रकबा 0.38 है. किस्म नहरी प्रथम कायम किये जाकर अवैधानिक रूप से चतुर्भुज पुत्र जगन्नाथ जाति जाट निवासी उदपुरिया के खाते दर्ज कर दी। जो भू. राजस्व अधिनियम की धारा 88 के प्रावधानों के विपरित तथा अवैधानिक है। उक्त आवंटन/नियमन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा—16 के तहत अवैधानिक है तथा डी0बी0 सिविल रिट याचिका [illegible] ...दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के निर्णय दि[illegible] 2.8[illegible]04 अनुसार ऐसी आराजी को पूर्ववत दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.08.23 10:19:14 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

किया जाना आवश्यक है। अतः उक्त आवंटन/नियमन को शून्य घोषित कर भूमि पूर्ववत गै.मु. तलाई राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

5— दौराने बहस अभिभाषक अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थीगण विवादित आराजी के रेकार्डेड खातेदार हैं तथा काबिज काश्त हैं। ग्राम उदपुरिया की आराजी साबिक खसरा नंबर 37/2 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा सम्वत् 2024 से 2030 की जमाबंदी अनुसार सिवायचक दर्ज था जिसमें से 2 बीघा 10 बिस्वा पर अप्रार्थीगण के पूर्वज खेती किसानी करते थे तथा शेष 9 बिस्वा पर तलाई दर्ज थी। आवंटन समिति द्वारा पूर्ण रूप से छानबीन कर उक्त आराजी का आवंटन अप्रार्थीगण के पिता चतुर्भुज पुत्र जगन्नाथ जाति जाट निवासी उदपुरिया के नाम किया था। याचिका संख्या 1536/2003 बउनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय न्यायालय की खण्डपीठ ने केवल निर्देश दिये हैं कि जल प्रवाह में ऐसा कोई कार्य नहीं किया जावे जिससे जल प्रवाह बाधित होता है तथा उक्त रेफरेंस पेश करने से पूर्व प्रार्थी द्वारा मौका निरीक्षण कर ऐसा कोई निष्कर्ष पेश नहीं किया है ना ही सन् 1947 का कोई राजस्व रेकार्ड पेश किया है। इस कारण उक्त रेफरेंस चलने योग्य नहीं है। उक्त आराजी अप्रार्थीगण उनके परिवार की आजीविका का एकमात्र साधन है। राज्य सरकार के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आवंटन को सम्बन्धी नियमों के तहत चुनौती देने के अधिकारों को निर्धारित मियाद में अपनाये बगैर अत्यधिक मियाद बाहर रेफरेंस प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आवंटन आदेश को निरस्त करवाये बिना प्रार्थी ने केवल मात्र खातेदारी अधिकारों को निरस्त करवाने का अनुतोष चाहा है जिसकी अनुमति प्रदान किया जाना आर.आर.टी. 2016(1) पेज 146 एवं 396 के न्यायिक दृष्टान्तों अनुसार भी विधि सम्मत नहीं है। प्रार्थी ने प्रस्तुत प्रकरण में कहीं भी अंकित नहीं किया है कि अप्रार्थीगण के नाम उक्त आराजी किस आदेश के तहत राजस्व रिकार्ड में अंकित की गई है तथा उक्त आदेश को चुनौती भी नहीं दी गई है। इसलिये हस्तगत प्रकरण मेन्टेनेबल नहीं है। दौराने रेफरेंस कार्यवाही अप्रार्थी खातेदार चतुर्भुज की मृत्यु हो गई है तथा प्रकरण मे उसके वारिसान को भी पक्षकार नहीं बनाया जाने से प्रकरण में पक्षकारों के कुसंयोजन का दोष उत्पन्न हो गया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेंस प्रार्थना पत्र निरस्त फरमावें। अपने कथन के समर्थन में अभिभाषक अप्रार्थीगण ने विधि दृष्टांत आर. आर. टी. 2016 (1) पृष्ठ 146, आर. आर. टी. 2016 (1) पृष्ठ 396, आर. आर. टी. 2016 (1) पृष्ठ 651, आर. आर. टी. 2017 (2) पृष्ठ 1367, आर. आर. टी. 2021 (1) पृष्ठ 348 पेश की तथा प्रार्थना पत्र निरस्त करने की इस्तदुआ की।

6— हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया जथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि ग्राम रामपुरा बड़ौद में सेटलमेन्ट सम्वत 2014—23 के अनुसार ग्राम उदपुरिया की जमाबन्दी सम्वत 2014—23 में खसरा नं. 37/2 मि. रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा किस्म गै.मु. तलाई दर्ज रिकार्ड है। जो चतुर्भुज पुत्र जगन्नाथ जाति जाट निवासी उदपुरिया को आवंटित/नियमन की जाकर सेटलमेन्ट 2044—2063 में भू.प्रबन्ध विभाग द्वारा मिलान क्षेत्रफल के अनुसार साबिक खसरा नंबर 37/2 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा के नवीन खसरा नं. 207 रकबा 0.38 है. किस्म नहरी प्रथम कायम किये जाकर उक्त भूमि को अवैधानिक रूप से चतुर्भुज पुत्र जगन्नाथ जाति जाट निवासी उदपुरिया के खाते दर्ज कर दिया। इस प्रकार जिस वक्त भूमि आवंटित/नियमन की गयी थी उस वक्त विवादित आराजी किस्म गै. मु. तलाई खाता सरकार दर्ज थी, जो आवंटन/नियमन योग्य भूमि नहीं थी। चतुर्भुज पुत्र जगन्नाथ जाति जाट निवासी उदपुरिया को उक्त आराजी का आवंटन/नियमन नियम विरूद्ध

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.08.23 10:19:14 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

हुआ है। तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी0बी0 सिविल रिट जनहित याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 2.8.2004 में ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है। इसलिये हम उक्त आवंटन/नियमन को विधि विरूद्व मानते हुए, आवंटन/नियमन निरस्त करने के लिये रेफरेंन्स माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में अग्रेषित किया जाना उचित समझते है।

7— परिणामस्वरूप, प्रार्थी जर्ये तहसीलदार, मांगरोल का रेफरेन्स प्रार्थनापत्र स्वीकार कर, अप्रार्थीगण के वर्तमान में वाके ग्राम उदपुरिया में दर्ज आराजी खसरा नंबर 207 रकबा 0.38 है. किस्म नहरी प्रथम को जो मूल रूप से सेटलमेन्ट पूर्व खसरा नंबर 37/2 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा किस्म गै.मु. तलाई से बना है जिसका चतुर्भुज पुत्र जगन्नाथ जाति जाट निवासी उदपुरिया को गलत रूप से आवंटन/नियमन हुआ है, आवंटन/नियमन निरस्त किये जाने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 की धारा—82 के अन्तर्गत रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में प्रेषित किया जावे। इस हेतु तहसीलदार मांगरोल को आदेश दिये जाते है कि इस न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त कर, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क कर, अन्दर मियाद रेफरेंस प्रस्तुत करे तथा सावचेत होकर प्रकरण में पैरवी सुनिश्चित करे।

8— तहसीलदार, मांगरोल को यह भी निर्देश दिये जाते है कि प्रश्नगत आवंटित आराजी जो वर्तमान में अप्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है। जमाबन्दी खाते पर रेफरेंन्स होने का नोट लाल स्याहीं से राजस्व रेकार्ड में अंकित करें।

आदेश आज दिनांक 19.07.2024 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर, बारां

जिला कलक्टर बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.08.23 10:19:14 IST
Reason: SelfAttested